155

संख्या / ।।–2012–03(08)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला पंचायत, देहरादून, पौड़ी,
उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं चम्पावत

लघु सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक : अप्रैल 17 , 2012

विषय : वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या 103/ल0सिं0/जिला योजना/2012–13 दिनांक 16.04.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2012–13 में जिला योजना के अन्तर्गत गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण योजनान्तर्गत स्वीकृत परिव्यय लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत बजट प्राविधान के सापेक्ष ₹ 16.67 लाख (₹ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्रमांक	योजना का नाम	जनपद का नाम	धनराशि (लाख ₹ में)
1	गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण	देहरादून	5.40
		पौड़ी	2.65
		उत्तरकाशी	2.65
		बागेश्वर	3.32
		चम्पावत	2.65
		योग	16.67

(₹ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र)

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग शासनादेश सं0 338/।।–2004/2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेश सं0–1454/।।–2007 –14(05)/2005, दनांक 06.12.07 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा तथा योजनाओं की सूची विभाग/शासन को उपलब्ध करायी जाय, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. जिला योजना से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 875/।।–2009–14(05) /2005 दिनांक 01.06.2009 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रक्योरमेन्ट) नियमावली 2008 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
5. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययिता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

क्रमशः.....2

6. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
7. कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैमास में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के 2702–लघु सिंचाई, 80–सामान्य, 800–अन्य मद, 91–जिला योजना, 9103–गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण (जिला योजना), 25–लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र संख्या 193/XXVII(1)/ 2011, दिनांक 30.03.2012 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या 406 /II–2012–03(08)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं चम्पावत तथा पौड़ी।
7. कोषाधिकारी, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं चम्पावत।
8. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त पौड़ी, हल्द्वानी तथा टिहरी।
9. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिचांई खण्ड, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं चम्पावत तथा पौड़ी।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–4), उत्तराखण्ड शासन।
13. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड फाईल।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव

संख्या – 321 / II / 2012
30/03/2012

संख्या– 183 /XXVII(I)/2012

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
अपर मुख्य सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

देहरादून : दिनांक : 28 मार्च, 2012

वित्त अनुभाग–1

विषय :– आगामी वित्तीय वर्ष 2012–13' मे प्रशासकीय विभागों एवं विभागाध्यक्षों के स्तर से साफ्टवेयर के माध्यम से बजट का आवंटन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सदन से वार्षिक आय–व्ययक अनुमानों के पारित होने के उपरान्त स्थापित प्रकिया के अनुसार प्रशासनिक विभागों/बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों को 01 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक के खर्चो के लिये बजट का आवंटन मैनुअल रूप से किया जाता है। शासन के वित्त विभाग व प्रशासनिक विभागों के स्तर पर बजट प्राविधान के सापेक्ष आवंटन एवं व्यय/बचत के आंकड़े त्वरित आधार पर उपलब्ध न हो पाने एवं सुदृढ तकनीकी व्यवस्था के अभाव में त्रुटि की संभावना बनी रहती है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में बजट आवंटन एंव नियंत्रण के लिये एन0आई0सी0 के सहयोग से निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें के डेटा सेंटर द्वारा बजट आवंटन का साफ्टवेयर विकसित किया गया है। अतः समस्त प्रशासनिक विभाग अपने अधीनस्थ बजट नियंत्रक अधिकारीगणों को तथा बजट नियंत्रक अधिकारीगण अपने अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को आगामी वित्तीय वर्ष 2012–13 में बजट का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से उक्त साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साफ्टवेयर पर बजट आवंटन वेबसाइट **www.cts.uk.gov.in** से किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में मैनुअल बजट आवंटन कोषागार/उपकोषागार स्तर पर स्वीकार नहीं किया जायेगा। दिनांक 1.4.2012 से वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से पासवर्ड के आधार पर सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से बजट आवंटन सुनिश्चित किया जाए।

AS(Agri)
AS(AH)
AS(Hort)
AS(Edu)

प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ बजट नियंत्रक अधिकारी–विभागाध्यक्षों को उक्त साफ्टवेयर से बजट आवंटन करने के पश्चात बजट आवंटन की हार्ड कापी कोषागारों/उपकोषागारों को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विभागाध्यक्षों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों को साफ्टवेयर पर बजट आवंटन करने के उपरान्त इसका प्रिन्ट लेकर एवं हस्ताक्षर करके हस्ताक्षरित प्रति सम्बन्धित कोषागारों/उपकोषागारों को भेजेंगे। सम्बन्धित कोषागार अधिकारी/उपकोषाधिकारी आवंटित बजट की उक्त हार्ड कापी में दर्शाये गये बजट का अंकन/सत्यापन सेंट्रल सर्वर पर करेंगे अर्थात् केवल वेब आधारित आवंटन ही फीड होगा तथा उसके विरूद्ध उनके आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बिलों का आहरण किया जायेगा।

29/3/12
445/PS-Agri/12

बजट मैनुअल की व्यवस्थाओं के अनुरुप विभागों में बजट आवंटन नियंत्रण संबंधी कार्य विभाग में पदस्थ वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आवंटन संबंधी आदेश विभागों/अधिष्ठानों में पदस्थ वरिष्ठतम वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर से ही जारी किये जाऐंगें।

US(mi) / CAFM

29/3/2012

(................ चौहान)
अपर सचिव
.... सिंचाई पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

सं0 : 548 24/3/12

29/3/12

उक्त प्रकिया के लागू होने से प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रकों के स्तर से राज्य के 3686 आहरण वितरण अधिकारियों को तथा 86 कोषागारों/उपकोषागारों में बजट आंवटन एवं अनुश्रवण का कार्य उक्त साफ्टवेयर से किये जाने पर जहॉ अत्यधिक सुविधा होगी वहीं बजट आवंटन में पारदर्शिता एवं शुद्वता रहेगी । प्रस्तावित साफ्टवेयर से कपटपूर्ण बजट आवंटन की संभावना भी समाप्त हो जायेगी।

भविष्य में बजट आवंटन सम्बन्धित अधिकारी के डिजिटाइज्ड हस्ताक्षर से जारी किया जाना प्रस्तावित है अतः सभी प्रशासनिक विभाग विभागाध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर Finance Data Centre, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला पर सम्पर्क किया जा सकता है जहां का टोल फ्री नम्बर 1800–266–2277 एवं कार्यालय का दूरभाष नम्बर 0135–2650904 हैं।

कृपया दिनांक 01–4–2012 से उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 1830(1)/XXVII(I)/2012 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार,उत्तराखण्ड।
2–मुख्य स्थानीय आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
3–निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तराखण्ड देहरादून।
4–मण्डलायुक्त उत्तराखण्ड।
5–निदेशक, एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड एकक,सचिवालय परिसर,देहरादून।
6–समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7–समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/
वित्त अधिकारी केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय/उपकोषाधिकारी।

आज्ञा से
(आर0 सी0 अग्रवाल)
अपर सचिव वित्त।